राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

रेक्टी0 प्रार्थना पत्र संख्या – 44/2012/बीकानेर

मैसर्स अम्बर मार्केटिंग,
जी–110, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राधाकिशन एण्ड संस, सिंघाना .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.कुमार .....अपीलार्थी की ओर से
अधिवक्ता

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 18/05/2018

निर्णय

1. यह रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 12.10.2012 के विरूद्ध पेश किया गया है, जिसमें व्यवहारी के विरूद्ध बकाया मांग वसूली पर रोक लगाने संबंधी स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी के अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक को सुना गया।

3. प्रस्तुत रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र व्यवहारी के विरूद्ध मांग वसूली के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने पर इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि स्थगन प्रार्थना पत्र के आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री व सुसंगत साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया है। प्रार्थी का यह कथन रहा है कि उसके द्वारा ब्रान्डेड कैन्डी न तो कभी क्रय की गयी है और न ही कभी विक्रय की गयी है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्रान्डेड कैन्डी के विक्रय को किसी साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है जबकि कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश में प्रश्नगत उत्पाद को ब्राण्डेड माना गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के निस्तारण तक मांग वसूली पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। स्थगन प्रार्थना पत्र पर पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.10.2012 में खण्डपीठ द्वारा सम्पूर्ण तथ्य एवं दोनों पक्षों के तर्कों का उल्लेख करते हुए गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी व्यवहारी की अपेक्षा विभाग के पक्ष में होना मान कर स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया।

4. प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.10.2012 में रिकॉर्ड में क्या त्रुटि (mistake apparent on the face of the record) है, यह विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया है, वर्तमान प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद ब्रान्डेड कैन्डी है अथवा नहीं? इसका विनिश्चय स्थगन प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय नहीं किया जा सकता है। अपितु यह अपील के गुणावगुण पर विनिश्चय की विषय वस्तु है। प्रस्तुत प्रकरण में व्यवहारी द्वारा अपील संख्या 1846/2012/बीकानेर, की कर बोर्ड के समक्ष सुनवाई के समय गुणावगुण पर वह अपना पक्ष रखने के लिये स्वंतत्र है।

5. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.10.2012 में कोई त्रुटि (mistake apparent on the face of the record) नहीं पायी गयी जो अभिलेख को देखने से प्रकट होती हो। अतः रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

6. परिणामस्वरूप उक्त रेक्टीफिकेशन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

18.5.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

18/05/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य